विधान परिषद के प्रथम सत्र-2025 के प्रथम सोमवार हेतु निर्धारित श्री शाहनवाज खान, मा0 सदस्य, विधान परिषद द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न सं0-*17 का उत्तर।

प्रश्न

(क) क्या ऊर्जा मंत्री बतायेंगे कि विद्युत विभाग द्वारा उपभोक्ताओं का लंबी दूरी के नाम पर शोषण हो रहा है एक आम व्यक्ति एक घरेलू कनेक्शन के लिए एक दो लाख का एस्टीमेट का खर्चा कैसे वहन करेगा इसका कोई समाधान हुआ है तो क्या हुआ है?

(ख)यदि नहीं हुआ है तो कब तक हो जाएगा?

उत्तर

मा0 विद्युत नियामक आयोग द्वारा 2019 में जारी कॉस्ट डाटा बुक में निहित प्राविधानों के अनुसार संयोजन निर्गत किये जाते हैं।

एल.टी. विद्युत पोल से 40 मीटर दूरी तक के आवेदकों को अल्प दरों पर संयोजन दिये जाते हैं। इस श्रेणी हेतु शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू संयोजन दरें निम्नवत हैं -

	ग्रामीण (रू0 में)	शहरी (रू0 में)
1 कि0वा0	1365	1858
2 कि0वा0	1524	2217

एल०टी० विद्युत पोल से 40 मीटर से अधिक दूरी के आवेदकों से कॉस्ट डाटा बुक के अनुसार लाईन निर्माण हेतु प्राक्कलन की धनराशि जमा करायी जाती है। यदि आवेदक का परिसर 40 मीटर से अधिक दूरी पर है तो 40 मीटर से अधिक की अतिरिक्त लम्बाई हेतु लाईन के निर्माण में आने वाला व्यय आवेदक द्वारा देय होता है। उक्त हेतु ट्रांसफार्मर की क्षमतावृद्धि का समस्त वित्तीय भार डिस्कॉम द्वारा वहन किया जाता है।

उपरोक्तानुसार।

ए. के. शर्मा
ऊर्जा मंत्री।